

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
(श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना)

कार्यालय आदेश सं०- 26

पटना, दिनांक- 30/06/2026

कार्यालय आदेश सं०-18-सह-पठित ज्ञापांक-3636 दिनांक-24.06.2026 के क्रम सं०-04 एवं 05 पर अंकित निम्नवर्गीय लिपिकों क्रमशः श्री सुब्रत रंजन तथा श्री आलोक कुमार के स्थानांतरण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। श्री सुब्रत रंजन एवं श्री आलोक कुमार का पदस्थापन क्रमशः पूर्ववत् श्रम अधीक्षक कार्यालय, जमुई तथा श्रम अधीक्षक कार्यालय, जहानाबाद में रहेगा।

2. पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश सं०-18-सह-पठित ज्ञापांक-3636 दिनांक-24.06.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई1-40/2026 श्र०सं०- 3688 पटना, दिनांक- 30/6/26
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- उप श्रमायुक्त, मुंगेर/श्रम अधीक्षक, जमुई/जहानाबाद/बक्सर एवं सभी स्थानान्तरित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4 30/6/26
श्रमायुक्त, बिहार।